कार्यालय
ग्राम पंचायत - क्यारी/क्वासा
तहसील–कालसी,जिला–देहरादून

परियोजना का नामः– मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम क्यारी/मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 2.3975 है0) अर्थात कुल 2.800 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी /मैसासा द्वारा दिनांक 13.02.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मैसासा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 2.3975 है0) अर्थात कुल 2.800 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग सहिया को सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग का नवनिर्माण हेतु कोई प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत क्वासा
ह0 जगीदास
दि0
वि0ख0 कालसी, देहरादून

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
ह0 निर्मला
दि0
वि0ख0 कालसी (दे0दून)

ह0/–
ग्राम प्रधान क्यारी

क्षेत्र पंचायत सदस्य लाच्छा
ह0
दि0
विकास खण्ड कालसी (देहरादून)

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– क्यारी/क्वांसा
तहसील–कालसी, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 2.3975 है0) अर्थात कुल 2.8000 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी द्वारा **दिनांक 13.02.2014** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मैसासा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकासखण्ड – कालसी
जनपद – देहरादून

प्रधान ग्राम पंचायत क्वांसा
ह0 अशोक
दि0
वि0ख0 कालसी, देहरादून

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
ह0 निर्मला
दि0
वि0ख0 कालसी (दे0दून)

ह0/–
ग्राम प्रधान – क्यारी

क्षेत्र पंचायत सदस्य लाच्छा
ह0
दि0
विकास खण्ड कालसी (देहरादून)

प्रपत्र - 23.1

ग्राम पंचायत क्यारी/क्वासा /मैहरावाला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	पूरणसिंह S/o अन्तराम ग्राम- मैसाला	पूरणसिंह
2-	रणवीरसिंह S/o गौरीसिंह "	रणवीरसिंह
3-	श्यामसिंह S/o मोहरसिंह "	श्यामसिंह चौहान
4-	राजेन्द्रसिंह S/o सबलसिंह "	राजेन्द्रसिंह
5-	चमनसिंह S/o गुलाबसिंह "	चमनसिंह
6-	रुपूदास S/o गौरीदास "	अ० नि० रुपूदास
7-	कृपालुदास S/o बिशनदास "	अ० नि० कृपालु दास
8-	सबलसिंह S/o शिवसिंह "	सबलसिंह
9-	खजानूदास S/o रुपूदास	अ० नि० खजानूदास
10-	कुंवरसिंह S/o रणजीतसिंह रखवाड़	कुंवरसिंह
11-	आनन्दसिंह S/o नारायणसिंह "	[illegible]
12-	सूरतसिंह S/o लालसिंह "	सूरत सिंह
13-	भगतसिंह S/o लालसिंह "	भगतसिंह
14	श्री शमशेर सिंह S/o श्री कुंवर सिंह मैसाला	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत क्वासा
ह० जगीदास
दि०
वि०ख० कालसी, देहरादून

ह० ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
ह० निर्मला
दि०
वि०ख० कालसी (दे०दून)

क्षेत्र पंचायत सदस्य लाच्छा
ह०
दि०
विकास खण्ड कालसी (देहरादून)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 791/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 791/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.3975 हे0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.800 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –कालसी) की दिनांक 19.12.2014को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी** एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अशोक पाण्डेय ,	उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून	(अध्यक्ष)	
2– श्री भारत भूषण मार्तोलिया ,	उपप्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग चकराता	(सदस्य)	
3– श्री मिठन लाल ,	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	(सदस्य/सचिव)	
4– श्री राजेश नौटियाल	बी0डी0सी0 क्षेत्र लाच्छा	(सदस्य)	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों–खाती–कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.3975 हे0 नापभूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्योंके समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.3975 हे0 नापभूमि) को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति
तहसील :– कालसी
जनपद:– देहरादून

प्रतिलिपि –: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :– कालसी
जनपद:– देहरादून

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद– देहरादून .के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील कालसी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

District Magistrate
Dehradun

ह0/
जिलाधिकारी
देहरादून

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Dehradun

प्रपत्र 41
No:..319./क०स०गा०सी०/वनभूमि ह० /-14 Dated:.26.-.12.-.2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed t be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that **0.4025** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of **SUBMERJENCE(Km.18) TO MESASA MOTOR ROAD (4.00 Km.)** under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of **MESASA -RAKHTAD** village(s) in Kalsi Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4025** Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

District Magistrate
Dehradun.
Signature
(श्री चन्द्रेश कुमार)
(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

Sr. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.4025 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers

Encl: As above

District Magistrate

Signature

(श्री चन्द्रेश कुमार)

(Full name of the official seal of the District Collector)